

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

03 अगस्त, 2022 (ई०)

[नवम्(मानसून)सत्र]

बुधवार, तिथि

12 श्रावण, 1944 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारंकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उस पर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- श्री प्रदीप यादव, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-01-08-22 एवं 02-08-2022 से स्थगित)
- (05)- श्री कमलेश कुमार सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-01-08-22 एवं 02-08-2022 से स्थगित)
- (06)- श्री सरयू राय, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-02-08-2022 से स्थगित)
- (07)- श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स०वि०स० एवं श्री रणधीर कुमार सिंह, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-02-08-2022 से स्थगित)
- (08)- डॉ०सरफराज अहमद, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-02-08-2022 से स्थगित)
- (09)- श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पर्यटन, कला संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-02-08-2022 से स्थगित)

कृ०पृ०30.../-

-: 02 :-

- (10)- सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-02-08-2022 से स्थगित)
- (11)- सर्वश्री मथुरा प्रसाद महतो, रामदास सोरेन एवं श्री सुखराम उरौंव, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (12)- श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (13)- श्री उमाशंकर अकेला, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (14)- सर्वश्री केदार हजरा, मनीष जयसवाल एवं श्री राज सिन्हा, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (15)- श्रीमती शिल्पी नेहा तिकी, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

- (16)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (17)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (18)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: विधायी कार्य :-

“पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2022”

- (19)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2022” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (20)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (21)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2022” पर विचार हो।
- (22)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2022” स्वीकृत हो।

कृ०पृ०उ०.../-

“झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022”

- (23)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक, 2022” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (24)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (25)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक, 2022” पर विचार हो।
- (26)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक, 2022” स्वीकृत हो।

“झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022”

- (27)-वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री,डॉ०रामेश्वर उरॉव, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (28)-वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री,डॉ०रामेश्वर उरॉव,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (29)- वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री,डॉ०रामेश्वर उरॉव,प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022”पर विचार हो।
- (30)- वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री,डॉ०रामेश्वर उरॉव, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022” स्वीकृत हो।

“झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022”

- (31)-वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री,डॉ०रामेश्वर उरॉव,प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन)विधेयक, 2022” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (32)-वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री,डॉ०रामेश्वर उरॉव,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (33)-वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री,डॉ०रामेश्वर उरॉव,प्रस्ताव करेंगे कि “ झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन)विधेयक, 2022” पर विचार हो।

-: 04 :-

(34)-वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री,डॉ०रामेश्वर उरौंव,प्रस्ताव करेंगे कि
'झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन)विधेयक,2022" स्वीकृत हो।

(35)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२२-२०२०/वि०स०,राँची,दिनांक-०२/०८/२२

प्रतिलिपि:-माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/
माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/
महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों
के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उत्तर
०५/०८/२०२२

(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२२-२०२०/वि०स०,राँची,दिनांक-०२/०८/२२

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवालय कार्यालय
को कृपया: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उत्तर
०५/०८/२०२२

उप सचिव

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२२-२०२०/वि०स०,राँची,दिनांक-०२/०८/२२

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/
पुस्तकालय शाखा,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उत्तर
०५/०८/२०२२

उप सचिव

झारखण्ड विधान सभा,राँची

गोपी/

३५१
०२-०८-२२